पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 360/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 22.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना अतरौलिया:- आरक्षी के साथ मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.11.2024 को रात्रि करीब 08.30 बजे चौकी पर सूचना मिली की शेरवां में एक मोटरसाइकिल द्वारा साइकिल सवार 02 व्यक्तियों को टक्कर मार दिया गया है जिसके आधार पर चौकी बूढनपुर पर तैनात आरक्षी कमाल अंसारी मौके पर पहुँचकर दोनो घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजवाया गया और मोटरसाईकिल चालक असरफ पुत्र स्व0 कमरुद्दीन निवासी सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया आजमगढ़ के साथ वहां पर मौजूद लोगों से वाद विवाद किया जा रहा था जिसमें आरक्षी द्वारा बीचबचाव करने पर वहां पर मौजूद विपक्षीगण 1. ओम प्रकाश निषाद पुत्र अंगी निषाद 2 विजय निषाद पुत्र लालमन निषाद 3. बाबू निषाद पुत्र अनार निषाद 4.जयराम निषाद S/0 अनार निषाद 5. अजीत निषाद पुत्र रामा निषाद 6.भोगे लाल निषाद S/0 लालमन निषाद 7. जयन्त निषाद पुत्र कालेदीन 8. रामप्रीत निषाद पुत्र कालेदीन निवासीगण शेरवा व 9. अमित निषाद पुत्र सुर्यभान निषाद 10. अजय वर्मा S/0 बृजभान वर्मा ग्रा0 कौडिया थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा एक जुट होकर गाली गुप्ता देते हुए आरक्षी कमाल अंसारी के साथ मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पाकर मौके पर चौकी प्रभारी बूढनपुर उ0नि0 रामनिहाल वर्मा व अन्य पुलिस कर्मी आये तब जाकर मामला शान्त हुआ। घटना के सम्बन्ध में वादी का0 कमाल अंसारी थाना अतरौलिया आजमगढ़ की तहरीर पर थाना स्थानीय पर दिनांक 20.11.2024 को मु0अ0सं0 377/24 धारा 115 (2) ,352 ,351 (2) ,132, 3 (5) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 22.11.24 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. ओमप्रकाश निषाद पुत्र अँगी निषाद निवासी शेरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 44 वर्ष 2. अजीत निषाद पुत्र रामा निषाद निवासी शेरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को बूढनपुर चौराहे के पास से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02.थाना जीयनपुरः- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 22.11.2024 को उ0नि0 मुन्ना लाल यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त सपन राय पुत्र स्व सुशील राय उर्फ बबलू राय नि0ग्राम छिडी जमीन छिडी कल्याणपुर (बासगांव) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष को **एक अदद तमंचा 315 बोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोबाइल के साथ** ग्राम खालिसपुर नहर के किनारे रोड से समय करीब 05.03 बजे सुबह **गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर** मु0अ0सं0 522/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 395/2024 धारा 115(2)/351(2)/ 352 BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0सं0 141/2024 धारा 9/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस

03.थाना- कप्तानगंज शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 30.10.24 को वादिनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त विष्णुदेव पुत्र बलिराम ग्राम छाता का पुरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ जो पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर जनपद वाराणसी में तैनात है द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ से शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था तथा शादी करने के लिये कहने पर शादी से मुकर गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 347/24 धारा-69, 351(2), 352 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 22.11.2024 को उ0 नि0 ओम प्रकाश दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **विष्णुदेव पुत्र बलिराम निवासी ग्राम छाता का पूरा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष** को कोइनहाँ मोड़ छाता का पूरा के पास से समय 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।